

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 21/7-04 S-I (1) दिनांक, चण्डीगढ़ 14.9.2004

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Shiv Public Sen. Sec. School, Sohna (Gurgaon)** को कक्षा 1 से 12वीं (Arts, Commerce and Science) तक को सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 1.4.2005 से इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 4/57-95 सी0 सै0 (1) दिनांक, 23.10.97 तथा 23/153-2002 एस-1 (1) दिनांक 7.4.2003 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० **EXISTING SCHOOL** है।

डी० सुरेश  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़

13/9/07

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, **Shiv Public Sen. Sec. School, Sohna (Gurgaon)**
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. सचिव हरियाणा सैकण्डरी शिक्षा बोर्ड, भिवानी।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, गुड़गावं।
5. मास्टर फाईल।

13/9/07  
ओफीसर इन्चार्ज विद्यालय -।  
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,  
चण्डीगढ़।